

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

कार्यालय आदेश


का०आ०सं०- 2/प०-1-102/17- 115

पटना, दिनांक- 29/6/17

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के अधीन कार्यरत निम्नांकित कनीय अभियंता (यांत्रिक) को कार्यहित में वर्तमान पदस्थापित स्थान (स्तम्भ-3) से स्थानान्तरित करते हुए नव पदस्थापित स्थान (स्तम्भ-4) पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	कनीय अभियंता (यांत्रिक) का नाम	वर्तमान पदस्थापन	स्थानान्तरण के पश्चात् नव पदस्थापन स्थान
1	2	3	4
1	श्री देव कुमार राम	प्रमंडल- पटना प्रशाखा- पी०एम०सी०एच०	प्रमंडल- सासाराम प्रशाखा- आरा अतिरिक्त प्रभार प्रशाखा- बिहियां
2	श्री प्रभात रंजन	प्रमंडल- सासाराम प्रशाखा- आरा	बिहार राज्य जल पर्षद्
3	श्री जगलाल राम	प्रमंडल- भागलपुर प्रशाखा- कहलगांव	प्रमंडल- छपरा प्रशाखा- बरौली
4	श्री सुरेश कुमार	प्रमंडल- पटना प्रशाखा- हिलसा	प्रमंडल- मुजफ्फरपुर प्रशाखा- पुपरी
5	श्री अजय कुमार	प्रमंडल- पटना प्रशाखा- भेटनरी	प्रमंडल- गया प्रशाखा- गया अतिरिक्त प्रभार प्रशाखा- कहलगांव एवं नवगछिया
6	श्री कैलाश कुमार	प्रमंडल- भागलपुर प्रशाखा- बाराहाट	प्रमंडल- भागलपुर प्रशाखा- भागलपुर अतिरिक्त प्रभार प्रशाखा- कहलगांव एवं नवगछिया

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. पूर्व निर्गत सभी स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
4. स्थानान्तरित कनीय अभियंताओं को माह, जुलाई 2017 को वेतन नव पदस्थापित स्थान से भुगतेय होगा।



(दयाशंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र० को०)

ज्ञापांक-2/५०-1-102/17- 220

दिनांक- 29/6/17

P.T.O.

प्रतिलिपि- सभी संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(दयाशंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र० को०)


ज्ञापांक-2/५०-1-102/17- 220

दिनांक- 29/6/17

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/संयुक्त सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्र०को०) के कोषांग/सभी मुख्य अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी संबंधित कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता स्थानान्तरित कनीय अभियंताओं का अपने स्तर से प्रभार आदान-प्रदान कराना सुनिश्चित करायेंगे एवं अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।

3. सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक)/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश द्वारा स्थानान्तरित कनीय अभियंताओं को अपने नये पदस्थापन स्थान पर योगदान देने हेतु 15 दिनों के अंदर निश्चित रूप से विरमित करना एवं कार्यान्वयन प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।


(दयाशंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र० को०)